

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बिहार में रबी की फसल

\* 26. श्री विभूति मिश्र :

श्री क. ना तिवारी :

श्री राम किशन गुप्ता :

श्री मधु सिन्घे :

क्या खाद्य और कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष रबी की फसल में कितना उत्पादन होने की आशा है;

(ख) बिहार में आगामी सितम्बर तक खाद्यान्न की कितनी कमी रहने की संभावना है;

(ग) क्या बिहार की नई सरकार ने और अधिक खाद्यान्न के निर्यात केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है, और

(घ) यदि हा, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का रुख क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख). इस वर्ष रबी की पैदावार अपर्याप्त वर्षा होने के कारण कम होने की आशा है। तथापि, इस समय पैदावार का कोई विश्वसनीय अनुमान लगाना कठिन है। परिणामतः, यह बताना सम्भव नहीं है कि आगामी सितम्बर तक राज्य में खाद्य की कितनी प्रत्याशित कम होगी।

(ग) जी, हा।

(घ) रुख सहानुभूति पूर्ण है और जहाँ तक सम्भव होगा भारत सरकार के पास उपलब्ध खाद्यान्न के अनुसार मांग पूरी की जाएगी।

**Supreme Court Judgment on Fundamental Rights**

\* 27. श्री सेशियन :

श्री याशपाल सिन्घ :

Shri Nath Pai:

Shri S. Supakar:

Will the Minister of Law be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to the Supreme Court Judgment on the Constitution (17th Amendment) Act, 1964 dealing with Fundamental Rights;

(b) whether Government have made an assessment of the implications arising out of this judgment; and

(c) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of Law (Shri Govinda Menon): (a) Yes.

(b) and (c). The effect and the implications of the Supreme Court Judgment are under active consideration of Government.

**Uniform Code of Marriage Laws**

\* 28. श्री कर्नल सिन्घ :

श्री D. C. Sharma:

Will the Minister of Law be pleased to state:

(a) whether Government are considering the desirability of enacting uniform code of marriage laws applicable to all citizens of India;

(b) if so, when such a Bill will be introduced in Parliament; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of Law (Shri Govinda Menon): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The main reason is that there is no uniformity of views among the different sections of the citizens of India as to the enactment of a uniform code of marriage laws applicable to all citizens of India. In the second place, so far as the marriage laws of the minority communities are concerned, it is considered that any move for a change therein should